FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ...... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ...... मुकाम ......

गंगाराम ...... बनाम ...... भैराराम वगैरह ......

किस्म मुकदमा ...... दा॰ अपील 111,128 RLR Act ...... नं. ...... 36/18 ...... सन् ...... 2018 ......

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.1.18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...... खेताराम भाखर ...... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...... 111, 128 RLR ...... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...... 27/2/18 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
27/02/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नेचमा स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेचमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेचमबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी का नेचमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेचमबन्दी मौके पर सुलह जमाकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली मिसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 297 दिनांक 27.2.18

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्री गंगाराम पुत्र सिरदारराम वगैरा 2 निवासी साईयों का तला, लुनाडा तह. बायतु जिला बाडमेर		1. श्री भैराराम पुत्र अचलाराम वगैरा 6 निवासी साईयो का तला, लुनाडा तह. बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 36 / 18

आदेश

मौजा साईयों का तला पटवार हल्का लुनाडा के खेत खसरा नम्बर 1670 रकबा 55.05 बीघा की भूमि मे चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक– 27.2.18

क्रमांक / वाद / 2018 / 298–302

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का लुनाडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थीगण श्री गंगाराम पुत्र सिरदारराम वगैरा 2।
4. विप्रार्थीगण श्री भैराराम पुत्र अचलाराम वगैरा 6।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु